

टी-12020/02/2017-डीसीसी (आयुष)

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
औषधि नीति अनुभाग

एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक-3, दूसरी मंजिल

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

दिनांक: 4 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभिन्न उपचारों/इलाज (2016) की बेंचमार्क दरों के आधार पर आयुष उपचारों के बीमा कवरेज और दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन के लिए समिति का गठन।

अधोहस्ताक्षरी को आयुष पद्धतियों के लिए बीमा कवरेज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु सचिव, आयुष मंत्रालय की अध्यक्षता में 13 जुलाई, 2023 को आयोजित बैठक का संदर्भ लेते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विभिन्न उपचारों/इलाज (2016) की बचेमार्क दरों के आधार पर आयुष उपचारों के बीमा कवरेज और दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन हेतु एक समिति स्थापित की गई है जिसका गठन निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	सदस्य और पदनाम	भूमिका
1	डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय	अध्यक्ष
2	डॉ. जी. प्रभाकर राव, डीएमसी (आयुष), कर्मचारी राज्य बीमा निगम	सदस्य
3	डॉ. मुकुल पटेल, उपाध्यक्ष, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर	सदस्य
4	डॉ. टी. दिवाकर राव, सी.एम.ओ. (एसएजी), एम.एस. (सीजीएचएस, आयुर्वेदिक अस्पताल लोधी रोड)	सदस्य
5	श्री राजीव वासुदेवन, अध्यक्ष- सीआईआई आयुर्वेद समूह, एमडी और सीईओ आयुर्वेद अस्पताल,	सदस्य
6	अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली से नामित पंचकर्म विशेषज्ञ	सदस्य
7	आईआरडीएआई से नामित सदस्य	सदस्य
8	जीआईपीएसए- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीमा कंपनियों से चिकित्सा विशेषज्ञों के नामांकन हेतु अनुरोध	सदस्य
9	डॉ. साकेत राम, ओएसडी, आयुष मंत्रालय	सदस्य
10	वैद्य अमित एस चौधरी, निदेशक वेदांश आयुर्वेद, आयुर्वेद व्यासपीठ के अध्यक्ष	सदस्य
11	वैद्य दीपक, सदस्य: आयुष समिति-पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स	सदस्य
12	प्रोफेसर डॉ. नारायण गंगाधर शहाणे, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा निदेशक, ब्रह्मा आयुर्वेद	सदस्य
13	वैद्य श्रेयस गोपालभाई, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक, शल्यतंत्र विभाग, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और ग्लोबल आयुर्वेद हॉस्पिटल	सदस्य
14	वैद्य श्रीमती प्रदन्या नितिन आसिकर, आयुर्वेद व्यासपीठ की सदस्य	सदस्य
15	डॉ. गजानन रामचन्द्र धाडवे, एनआईएमए प्रोक्टोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष, आयुर्वेद प्रोक्टोलॉजी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष	सदस्य
16	डॉ. अस्वनी जीएस, अनुसंधान अधिकारी (आयु.), डीपीएस, आयुष मंत्रालय	सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. विभिन्न उपचारों/इलाज (2016) की बचेमार्क दरों के आधार पर आयुष उपचारों के बीमा कवरेज और दावों के निपटान के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन।

ख. उपयुक्त दिशानिर्देशों में अतिरिक्त प्रक्रियाओं, सर्जिकल उपचार आदि का समावेशन।

ग. समान रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु बीमा दावा संबंधी प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय आयुष रुग्णता कोड (नमस्ते पोर्टल), आईसीडी-11 का उपयोग करके एबीएचआईडी को अपनाना और डबल कोडिंग को अमल में लाना।

घ. आईआरडीए, जीआईसी और आईआईवी और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से डाटा संग्रहण और विश्लेषण।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

(मदन लाल मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय।
2. निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, एआईआईए, नई दिल्ली से नामांकित पंचकर्म विशेषज्ञ को नामित करने हेतु अनुरोध।
3. अध्यक्ष, आईआरडीएआई को आईआरडीएआई से एक सदस्य नामित करने हेतु अनुरोध।
4. डॉ. जी. प्रभाकर राव, डीएमसी (आयुष), कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
5. डॉ. मुकुल पटेल, उपाध्यक्ष, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर।
6. टी. दिवाकर राव, सी.एम.ओ. (एसएजी), एम.एस. (सीजीएचएस, आयुर्वेदिक अस्पताल लोधी रोड)
7. श्री. राजीव वासुदेवन, अध्यक्ष- सीआईआई आयुर्वेद समूह, एमडी और सीईओ आयुर्वेद अस्पताल,
8. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जीआईपीएसए- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीमा कंपनियों से चिकित्सा विशेषज्ञों के नामांकन के अनुरोध के साथ।
9. डॉ. साकेत राम, ओएसडी, आयुष मंत्रालय
10. वैद्य अमित एस चौधरी निदेशक वेदांश आयुर्वेद, अध्यक्ष आयुर्वेद व्यासपीठ
11. वैद्य दीपक, सदस्य
12. प्रोफेसर डॉ. नारायण गंगाधर शहाणे,
13. वीडि वैद्य श्रेयस गोपालभाई
14. वैद्य श्रीमती प्रदन्या नितिन आसिकर,
15. डॉ. गजानन रामचन्द्र धाडवे,
16. डॉ. असवनी जीएस, अनुसंधान अधिकारी (आयु.), डीपीएस, आयुष मंत्रालय

प्रतिलिपि,

1. सचिव (आयुष) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (बीकेएस) के प्रधान निजी सचिव।
3. डॉ. केयू, सलाहकार (आयु.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।